कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी–अनु/34814/2017 दिनांकः 05.03.2018

समस्त उपनिदेशक,माध्यमिक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा

विषयः– काउंसलिंग के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र पदस्थापन होने पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिये जाने के सम्बन्ध में
प्रसंग :– राज्य सरकार का आदेश क्रमांकः F.7 (3) FD (Rules)/98 Jaipur Date 02-08-2005

———————

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः F.7 (3) FD (Rules)/98 Jaipur Date 02-08-2005 के अनुसार राज्य हित (Public Interest) में स्थानान्तरण होने पर मुख्यालय परिवर्तन पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय है । काउंसलिंग के दौरान रिक्त प्रदर्शित किये गये पदों पर कार्मिक को ईच्छित पद पर चयन का विकल्प खुला रहता है । काउंसलिंग के दौरान पदस्थापन का मुख्यालय परिवर्तन राज्य हित में एवं प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जाकर कार्मिक के द्वारा पदस्थापन स्थान के चयन के आधार पर पदस्थापन किया जाता है ।

अतः काउंसलिंग के दौरान कार्मिक का पदस्थापन स्थान का मुख्यालय परिवर्तन होने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व कार्यग्रहणकाल देय नहीं है । अधीनस्थ कार्यालयो व शाला प्रधानों को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अनावश्यक पत्राचार नहीं करने के लिये पाबन्द करावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com